

**न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला -बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण क.184 / 2008  
 संस्थित दिनांक-25.03.2008  
 फाईलिंग क.234503000372008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1-रोवनसिंह पिता कट्टी उइके, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम कावेली, पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-अमरसिंह पिता कुमानसिंह वल्के, उम्र-36 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम नेवरगांव खुर्द, तहसील किरनापुर,  
 थाना-हट्टा जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-कृपालसिंह पिता जीरासिंह (फौत)  
 ग्राम कसंगी, पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-20 / 09 / 2016 को घोषित)**

- 1- आरोपी अमरसिंह वल्के के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-06.01.2008 को 16:00 बजे, ग्राम नेवरगांव, अंतर्गत थाना हट्टा में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।
- 2- आरोपी रोवनसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-06.01.2008 को 8:00 बजे, सोनेवानी जंगल, अंतर्गत थाना रूपझर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक करीब 48 इंच लंबी, 20 मि. ली. की शीशी में बारूद, 6 बड़े व 10 छोटे छर्रे अवैध रूप से रखे पाए गए।

3— आरोपी कृपालसिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-06.01.2008 को 11:10 बजे, ग्राम कसंगी (इमलीटोला), अंतर्गत थाना रूपझर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक नाल (बैरल) भरमार बंदूक एवं 25 मि.ली. की शीशी में बारूद अवैध रूप से रखे पाए गए।

4— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सोनेवानी अंतर्गत थाना रूपझर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के.एस. चंदेल गश्त के लिए हमराह बल के साथ ग्राम कसंगी गया था, जहां उसे मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी कृपालसिंह अवैध बंदूक बनाकर नेवरगांव निवासी अमरसिंह तथा ग्राम कावेली के रोवनसिंह को विक्रय की है। सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ व साक्षी फागू व माखनसिंह को लेकर वे सोनेवानी के जंगल गया और दबिश देने पर आरोपी रोवनसिंह के पास बिना लायसेंस की एक भरमार बंदूक, छर्रे, बारूद, टिकली, फटाखे, चिंदी गवाहों के समक्ष उपरोक्त वस्तुएं जप्त की गई। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर ग्राम कसंगी जाकर आरोपी कृपालसिंह से पूछताछ की तो आरोपी ने उपकरण निर्माण के अवैध औजार संसी, छेनी, राड इत्यादि अपने पास होना बताया, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। इसके पश्चात् ग्राम नेवरगांव जाकर आरोपी अमरसिंह से पूछताछ किये जाने पर उसने अपने पास भरमार बंदूक होना बताया, जिससे भरमार बंदूक जप्त की गई। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस चौकी सोनगुड्डा में अपराध क्रमांक-0/2008, अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा-25(I), 25(II) 27 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसे असल नंबर पर कायमी हेतु पुलिस थाना रूपझर भेजा गया, जहां आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-04/2008, अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा-25(I), 25(II) 27 पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण से बंदूक जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया गया तथा साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उनके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी रोवनसिंह व अमरसिंह के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी रोवनसिंह व अमरसिंह ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6—

**प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी अमरसिंह वल्के ने दिनांक-06.01.2008 को 16:00 बजे, ग्राम नेवरगांव, अंतर्गत थाना हट्टा में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में भरमार बंदूक बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?
2. क्या आरोपी रोवनसिंह ने दिनांक-06.01.2008 को 8:00 बजे, सोनेवानी जंगल, अंतर्गत थाना रूपझर में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक भरमार बंदूक करीब 48 इंच लंबी, 20 मि.ली. की शीशी में बारूद, 6 बड़े व 10 छोटे छर्रे अवैध रूप से रखे पाए गए ?

**: : विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष : :**

7—

आरोपीगण द्वारा अभिकथित अपराध के विषय में साक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होने से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न कर सुविधा अनुसार निराकरण किये जाने से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

8—

अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी के.एस. चंदेल (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-06.01.2008 को चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह सर्चिंग पार्टी के साथ गश्त पर गया था, तभी गश्ती के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कसंगी का कृपालसिंह गोंड अवैध रूप से भरमार बंदूक बनाकर बेचता है, जिसने ग्राम नेवरगांव के अमरसिंह वल्के व ग्राम कावेली के रोवनसिंह को भरमार बंदूक बेचा है और रोवनसिंह उसी बंदूक को लेकर सोनेवानी जंगल गया है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ व साक्षी फागू एवं माखनसिंह को साथ लेकर सोनेवानी जंगल में दबिश दी, जहां रोवनसिंह के पास से बिना लायसेंस की एक अवैध भरमार बंदूक, छर्रे व बारूद तथा टिकली फटाखे, चिंदी को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रोवन से जप्त भरमार बंदूक आर्टिकल 'ए' है। आरोपी रोवनसिंह को अभिरक्षा में लेकर ग्राम कसंगी आरोपी कृपालसिंह से पूछताछ की, जिससे अवैध औजार निर्माण करने का उपकरण पनकी, सनसी, छेनी, राड, नाल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया, जिसके स से स भाग पर उसे हस्ताक्षर हैं। दोनों आरोपीगण को मय स्टाफ व साक्षियों के साथ लेकर ग्राम नेवरगांव जाकर आरोपी अमरसिंह वल्के से पूछताछ करने पर उसके पास से एक भरमार बंदूक जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। आरोपी अमरसिंह वल्के से जप्त भरमार

बंदूक आर्टिकल 'बी' है। तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

9— साक्षी ने कहा है कि चौकी सोनेवानी में आरोपीगण के विरुद्ध जीरो की कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। कायमी के पश्चात् मामले की डायरी आरक्षक इगलसिंह के माध्यम से थाना रूपझर असल कायमी हेतु भेजा था। प्रधान आरक्षक धनीराम भैरम द्वारा साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये गए थे, जिस पर प्रधान आरक्षक धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है।

10— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी रोवनसिंह से जप्त छर्रे, टिकली, फटाखे इत्यादि जप्त कर सीलबंद नहीं किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी रोवनसिंह से जप्त छर्रे व शीशी आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी रोवनसिंह व आरोपी कृपालसिंह का मेमोरेण्डम लेख नहीं किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में जप्ती के समय बंदूक चालू होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किये हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी अमरसिंह वल्के के पास से बंदूक जप्त नहीं हुई थी और उसने झूठी कार्यवाही थाने पर की थी।

11— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कमलसिंह (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-06.01.08 को चौकी सोनेवानी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को सूचना प्राप्त होने पर वह सहायक उपनिरीक्षक चंदेल के साथ ग्राम कसंगी के जंगल में बने घर में गया था, जहां भरमार बंदूक मिली थी और अन्य सामग्री भी मिली थी, जिसका उसे ध्यान नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे ग्राम कसंगी निवासी कृपालसिंह द्वारा अवैध भरमार बंदूक बनाकर बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी और यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी अमरसिंह ग्राम कसंगी के कृपालसिंह द्वारा भरमार बंदूक बेची गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सोनेवानी के जंगल में दबिश देने पर आरोपी रोवनसिंह के पास से बिना लायसेंस की भरमार बंदूक प्राप्त हुई थी। आरोपी कृपालसिंह के आधिपत्य से छर्रे, टिकली, फटाखा, चिंदी कपड़ा आदि मिला था। इसी प्रकरण में आरोपी अमरसिंह वल्के के पास से भरमार बंदूक जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे याद नहीं है की जप्त बंदूक चालू हालत में थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी अमरसिंह वल्के ग्राम नेवरगांव का रहने वाला है। साक्षी ने यह



भी स्वीकार किया कि वह ग्राम नेवरगांव नहीं गया था।

12— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अशोक मड़ावी (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक—06.08.2008 की सुबह के समय की है। वह सर्चिंग के कार्य से सहायक उपनिरीक्षक चंदेल तथा अन्य हमराह बल के साथ गया था, तब मुखबिर से सूचना मिलने पर वह सोनेवानी और कावेली के जंगल गया था। आरोपी रोवनसिंह भरमार बंदूक सहित मिला था, उसके पास बंदूक का लायसेंस नहीं था। आरोपी रोवनसिंह ने बताया था कि ग्राम कसंगी के पास से वह बंदूक लाया था। इसके बाद वह कसंगी गांव गया था, जहां बंदूक बनाने वाला व्यक्ति मिला था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी रोवनसिंह के पास से बंदूक जप्त नहीं हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने चौकी की पुरानी बंदूक को जप्त कर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि जप्त बंदूक चलाने योग्य नहीं थी।

13— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी एल.सी. चौधरी (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—07.01.2008 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी सोनेवानी से आरक्षक इगलसिंह प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-9 असल नंबरी हेतु थाना रूपझर लेकर आया था, जिसे उसके द्वारा प्रथम सूचना पत्र प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10, अपराध क्रमांक—04/08 आयुध अधिनियम के तहत असल कायम किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी ईगल मरकाम (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—06.01.2008 को चौकी सोनेवानी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उसी दिनांक को हमराह बल तथा अपने अधिकारी के साथ जंगल में सर्चिंग के कार्य से गया था, जहां एक व्यक्ति बंदूक बना रहा था, उस व्यक्ति के पास बंदूक बनाने का सामान रखा हुआ था। आरोपी रोवनसिंह के घर में बंदूक बनाने का सामान मिला था, इसके अतिरिक्त क्या सामान मिला था, यह बात उसे ध्यान नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम कसंगी का आरोपी कृपालसिंह अवैध भरमार बंदूक बनाकर बेचता है। इसी प्रकार की सूचना उसे प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी अमरसिंह व रोवनसिंह को भरमार बंदूक बेचा गया है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह साक्षी फागू व माखनसिंह के साथ दबिश देने गया था, जहां आरोपी रोवनसिंह के पास बिना लायसेंस की भरमार बंदूक, छर्रे, टिकली, फटाखा, कपड़ा आदि जप्त हुए थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि क्या आरोपी कृपालसिंह के पास से अवैध छर्रे, रॉड, नाल,

संसी इत्यादि प्राप्त हुए थे तथा आरोपी अमरसिंह के पास से भी एक भरमार बंदूक जप्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय फागू और माखनसिंह थाना रूपझर में काम करते थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि थाने में रखी हुई सामग्री की जप्ती सामग्री बनाकर आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण बना लिया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी अमरसिंह से कोई जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी घटना दिनांक के 2-3 बाद चौकी लेकर आए थे।

15— अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह पुलिस के साथ ग्राम कसंगी नहीं गया था। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-6 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि आरोपीगण के पास बिना लायसेंस की भरमार बंदूक, छर्रे, बारूद, टिकली फटाखा, चिंदी कपड़ा इत्यादित जप्त हुए थे। साक्षी ने स्पष्टतः इंकार किया कि आरोपी कृपालसिंह ने बंदूक बनाने का सामान तथा आरोपी अमरसिंह से उसके सामने बंदूक जप्त हुई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 पुलिस को हनीं लेख कराया व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 पर पुलिस ने थाने किये थे।

16— अभियोजन साक्षी माखनसिंह (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दिनांक-06.01.2008 को वह कहीं नहीं गया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी रोवनसिंह, कृपालसिंह व अमरसिंह से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत 6 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के विषय में कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि पुलिस ने आरोपी रोवनसिंह से भरमार बंदूक, बारूद, छर्रे इत्यादि जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी कृपालसिंह के पास से भरमार बंदूक, छेनी, संसी, एक रॉड, हथौड़ी इत्यादि जप्त हुई थी। साक्षी ने आरोपीगण को अपने सामने गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटना के समय थाना मलाजखण्ड में पदस्थ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अधिकारी के कहने पर

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने सभी हस्ताक्षर अधिकारी के कहने पर कर दिये थे।

17— बी.के. निकोसे (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह फरवरी 2008 में जिला कलेक्ट्रेट बालाघाट कार्यालय में लाईसेंस क्लर्क के पर पर पदस्थ था। उसके कार्यालय में पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से थाना रूपझर की पुलिस चौकी सोनेवानी के अपराध क्रमांक-04/08, धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण में आरोपी रोहनसिंह पिता कट्टीसिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी, जिस पर जिला दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट के द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति पत्र प्रदर्श पी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह उनके कार्यालय में पदस्थ होने के कारण पहचानता हैं। शेष आरोपीगण के विषय में अभियोजन स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त करने के विषय में साक्षियों ने कुछ नहीं कहा है।

18— उद्धवप्रसाद तिवारी (अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-16.01.2008 को पुलिस लाइन बालाघाट में प्रधान आरक्षक आर.मोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना रूपझर के अपराध क्रमांक-4/08 में जप्तशुदा दो भरमार बंदूक, एक भरमार बंदूक की बैरल तथा विस्फोटक औजार तथा सामग्री उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाई गई थी, जिनका परीक्षण करने पर दोनों भरमार बंदूक को हाथ के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई पाई थी, उनमें कोई नम्बर नहीं था और वे शासकीय आर्म्स नहीं थे। उक्त दोनों भरमार बंदूक चालू हालत में थी। मानव तथा जंगली जानवर उनसे मारे जा सकते थे। सामग्री का परीक्षण करने पर उसने पाया कि एक छोटी शीशी में 25 ग्राम बारूद थी, दो डिब्बियों में फटाखे की टिकली थी, एक कपड़े की चिन्दी, छोटे गोल छर्रे दस नग, बड़ी गोली शीशी के पांच नग, एक बड़ी लम्बी शीशे की गोली एक नग, एक गज राड एक नग थे तथा भरमार बंदूक बनाने में उपयोग सामग्री छेनी, लम्बा राड बेन्डनूमा शंशी, सीधी शंशी, हेमर तीन नग छोटे-बड़े पाया था। उसके द्वारा परीक्षण की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि परीक्षण में टिकली दिवाली पर आमतौर पर बिकने वाली टिकली थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि गोल छर्रे साईकिल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्तशुदा भरमार बंदूक पुरानी होने से चलने योग्य नहीं थी, परंतु यह स्वीकार किया है कि उसने बंदूक चलाकर स्वयं नहीं देखी।

19— आरोपी अमरसिंह के विरुद्ध ग्राम नेवरगांव में अपने आधिपत्य में एक पुरानी भरमार बंदूक अवैध रूप से रखे जाने का अभियोग है। इसी प्रकार आरोपी रोवनसिंह पर अपने पास एक भरमार बंदूक, शीशी में बारूद व छर्रे रखने का अभियोग है, जबकि आरोपी कृपालसिंह पर अपने अधिपत्य में एक भरमार बंदूक, बारूद रखे होने का अभियोग है। सर्वप्रथम यह देखना है कि आरोपीगण से भरमार बंदूक घटना दिनांक को जप्त हुई थी या नहीं एवं जप्त की गई बंदूक के विषय में उनके पास अनुज्ञप्ति थी या नहीं। अभियोजन साक्षी के.एस. चंदेल अ.सा.7 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि उसने आरोपी रोवनसिंह के पास से आर्टिकल “ए” की बंदूक जप्त की थी। आरोपी अमरसिंह से आर्टिकल “बी” की बंदूक जप्त की थी। आरोपी कृपालसिंह से बंदूक निर्माण करने के औजार जप्त किये गए थे और एक भरमार बंदूक जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने प्रकरण में घटना से संबंधित रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया है। विवेचक बी.एस. चंदेल (अ.सा.7) द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन आंशिक रूप से अभियोजन साक्षी कमलसिंह (अ.सा.6) तथा ईगल मरकाम (अ.सा.5) द्वारा किया गया है, क्योंकि उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने विवेचक द्वारा बताई गई घटना एवं घटनाक्रम को स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी अशोक (अ.सा.3) ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन कर यह कहा है कि आरोपी रोवनसिंह घटना दिनांक को भरमार बंदूक के साथ मिला था। इसके पश्चात् उसका कहना है कि वह ग्राम कसंगी पुलिस के साथ गया था, जहां बंदूक बनाने वाला व्यक्ति उसे मिला था। साक्षी ने यह नहीं कहा है कि आरोपी कृपालसिंह ही बंदूक बनाने के सामान के साथ उसे ग्राम कसंगी में मिला था और उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

20— आयुध अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत आरोपी द्वारा अपराध किये जाने के लिए अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह आरोपीगण के आधिपत्य में अवैध रूप से निषेधित प्रकृति का हथियार होना संदेह से परे प्रमाणित करें। विवेचक के.एस. चंदेल अ.सा. 7 द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है और आर्टिकल “ए” तथा “बी” की बंदूक भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। घटना के विषय में साक्षी कमलसिंह (अ.सा.6) ने ईगल मरकाम (अ.सा.5) जो की पुलिस विभाग में ही कार्यरत् व्यक्ति हैं तथा घटना के समय विवेचक के.एस. चंदेल (अ.सा.7) के साथ मौके पर गए थे, उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए उनकी संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते समय इस बिन्दू पर भी विचार करना होगा, परंतु यदि स्वतंत्र साक्षियों के कथनों पर विचार किया जावे साक्षी फागूलाल (अ.सा.1) तथा माखनसिंह (अ.सा.2) ने यह कहा है कि पुलिस ने घटनास्थल पर उनके सामने न तो आरोपीगण से कोई वस्तु जप्त की थी और न ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा पुलिस द्वारा की



गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। साक्षी फागूलाल (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्ती, गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 पर उसने पुलिसवालों के कहने पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे। इसी प्रकार साक्षी माखनसिंह (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी रोवनसिंह से उसके सामने भरमार बंदूक, टिकली, कपड़ा, चिन्दी इत्यादि जप्त नहीं की गई थी। आरोपी कृपाल सिंह से भी भरमार बंदूक व हथियार बनाने के औजार भी जप्त नहीं किये गए थे। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना के विषय में अभियोजन कहानी का पूर्णतः विरोध किया गया है। प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विवेचक द्वारा रोजनामाचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किये जाने से पुलिस विभाग सर्चिंग की कार्यवाही में घटना दिनांक को गया था अथवा नहीं इस बात की भी धारणा नहीं की जा सकती। यदि जप्त भरमार बंदूक आर्टिकल ए, बी के विषय पर विचार किया जावे तो वे भरमार बंदूक (फायर योग्य) चलने में सक्षम थी अथवा नहीं, इस संबंध में साक्षी उद्धवप्रसाद तिवारी (अ.सा.9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने बंदूक को चलाकर नहीं देखा, जिससे उसके (फायर योग्य) होने की धारणा नहीं की जा सकती। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतः—जसपाल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब, 1999(1) एम. पी.डब्ल्यू.एन. 42 (एस.सी.)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जप्तशुदा पिस्तोल (आयुध) का चेम्बर खाली था ऐसी साक्ष्य नहीं थी कि वह चलने योग्य है ऐसी में अपराध नहीं बनेगा। इस प्रकरण में भी जप्त आर्टिकल “ए” “बी” की भरमार बंदूक तथा प्रदर्श पी-3 की सामग्री का आग्नेयास्त्र के रूप में प्रयोग किया जाना अथवा उसका चलने योग्य होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। उपरोक्त समस्त आधारों पर अभियोजन कहानी पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती और इन परिस्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) (ए) के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त मुक्त किया जाता है।

21— प्रकरण में आरोपी अमरसिंह दिनांक-07.01.2008 से दिनांक-09.01.2008 तक, आरोपी रोवनसिंह दिनांक-07.01.2008 से दिनांक-16.01.2008 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

23— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आर्टिकल "ए" "बी" की बंदूक जिला दण्डाधिकारी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु भेजी जावे एवं जप्तशुदा छर्ने, टिकली फटाखा, शीशी, बारूद, कपड़ा, चिन्दी, अवैध हथियार बनने के उपकरण मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)